तारीख हुक्म	नरेन्द्र सिंह V/S देवीसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज TA 52/2013	नम्बर व तारीख अन्य जो इस हुक्म की नं. में जारी
22-1-21	श्री चन्द्रशेखर जयपा वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 1 के व तथा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने बताया की मूल वाद अधिवक्ता व्यवहार उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनसिटी के दिनांक 11-11-2020 को खारिज हो चुका है तथा प्रस्तुत अपील धारा 212 R.T.A के अन्तर्गत आवेदन की है जो वाद पत्र खारिज हो जाने से प्रभावशून्य हो चुकी है। आवेदन के साथ वाद पत्र व आदेशिका की प्रति प्रस्तुत की सिर्फ अवलोकन किया जाने से ज्ञात है कि मूलवाद पत्र खारिज हो चुका है इस कारण से यह प्रार्थना-पत्र की अपील "प्रभाव शून्य" हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली सौरभ कुमार होकर नाहर के कब्जे की जावे। प्रार्थना आदेशिका व दावा की प्रति शामिल पत्रावली रहे।	